



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

वर्ष 2023-24 एवं आगे के लिये

हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा, स्याह जीरा, सौफ, विलायती सौफ,
अजवाइन, पार्शले (अजमोद), मिर्च, सौंआ (डिल)कलौजीं, लहसुन
एवं मैथी के प्रमाणित बीजों के प्रदाय हेतु रेट कांट्रेक्ट ऑफर

(पात्र बीज उत्पादको से)

दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक

28.11.2023 अपरान्ह 4.00 बजे तक

प्रबंधक (उद्यान)



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/आर सी ओ/उद्यान/2023-24/2630

भोपाल, दिनांक 21.11.2023

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ) की द्वितीय अल्पकालीन सूचना

निगम द्वारा वर्ष 2023-24 एवं आगे की अवधि के लिये हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा, स्याह जीरा, सौंफ, विलायती सौंफ, अजवाईन, पार्शले (अजमोद), मिर्च, सौंआ (डिल) कलौंजी, लहसुन एवं मैथी के प्रमाणित बीजों के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	सामग्री का नाम	आर सी ओ प्रपत्र का मूल्य (जीएसटी सहित)	संकल्प धन राशि
1	वर्ष 2023-24 एवं आगे के लिये हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा, स्याह जीरा, सौंफ, विलायती सौंफ, अजवाईन, पार्शले (अजमोद), मिर्च, सौंआ (डिल) कलौंजी, लहसुन एवं मैथी के प्रमाणित बीजों के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर	रु 5900/-	रु 1,00,000/-

आर.सी.ओ. में निर्दिष्ट अर्हताएं पूर्ण करने वाले बीज उत्पादक जिनके द्वारा स्वयं / संस्था के नाम से प्रमाणित बीजों के उत्पादन का कार्यक्रम लिया गया हो तथा जिनके पास बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी अंतिम बीज प्रमाणपत्र उपलब्ध हो से ई-टेंडरिंग के अन्तर्गत दर प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ दिनांक 28.11.2023 अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in तथा निगम की वेबसाइट <http://mpagro.org> पर उपलब्ध है, दस्तावेज www.mptenders.gov.in से ही डाउनलोड किए जा सकेंगे तथा इसी वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाना आवश्यक है। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाइट पर दी जाएगी।

पबंधक (उद्यान)



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) प्रमाणित बीजों के लिये

यह दस्तावेज निम्नानुसार कुल 28 पृष्ठ का है :

क्रं.	विवरण	परिशिष्ट क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	डिस्कलेमर	—	5
2	कार्य के अवसर	—	5
3	ऑफरकर्ताओं को निर्देश	—	5—6
4	निविदा प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण	—	6—7
5	ऑफर की सामान्य शर्तें	—	8—15
6	तकनीकी योग्यता एवं दस्तावेज जो पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है ।	परिशिष्ट 1	16
7	ऑफरकर्ताओं को निर्देश	परिशिष्ट 2	17
8	सामग्री के मापदण्ड, आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य, संकल्प धनराशि एवं आदेश जारी करने के लिए अधिकृत की जानकारी	परिशिष्ट 3	18
9	अनुबंध का प्रारूप (राशि रुपये 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)	परिशिष्ट 4	19
10	अनुबंध का प्रारूप का परिशिष्ट	परिशिष्ट 4 अ	20
11	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र	परिशिष्ट 5	21
12	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु सहमति/घोषणा पत्र (राशि रुपये 500/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)	परिशिष्ट 6	22
13	ऑफरकर्ता का विस्तृत विवरण	परिशिष्ट 7	23—24
14	वित्तीय ऑफर का प्रारूप	परिशिष्ट 8	25—28



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में विभिन्न स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका तात्पर्य निम्नानुसार है:-

निगम	दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल
क्रयकर्ता विभाग एवं प्राप्तकर्ता	विभाग जिनके द्वारा सामग्री क्रय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय
आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज	आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।
आवेदक/आफरकर्ता	उत्पादक अथवा उनके द्वारा अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर जिनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लिया गया हो
प्रदायक	ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत अनुमोदित की गई हो तथा निगम से प्रदाय हेतु आफरकर्ता द्वारा अनुबंध किया गया हो
संकल्प धनराशि (ई.एम.डी)	आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमा की गई राशि
धरोहर राशि	आफरकर्ता की दरों के अनुमोदन एवं निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में प्रदायक द्वारा किये गये प्रदाय के विरुद्ध निगम को वांछित सुरक्षा निधि है तथा संकल्प धनराशि (ई.एम.डी) की राशि के रूप में धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी
विभाग	विभाग का आशय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग एवं उद्यानिकी तथा अन्य को शासकीय विभागों से है
प्रबंध संचालक	प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है
क्षेत्रीय प्रबंधक	निगम के संभागवार (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रबंधक
जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक	निगम के जिला (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित जिला कार्यालयों के जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

1. अस्वीकारणीय (Disclaimer)

यद्यपि इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई है तथापि रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र पूर्ण है, इस बात की संतुष्टि आफरकर्ता स्वयं कर लेवें। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तों के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति दिनांक 24.11.2023 को प्रीबिड मीटिंग में प्रस्तुत किया जाना है। प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा लिया गया निर्णय दिनांक 25.11.2023 को www.mptenders.gov.in एवं <http://mpagro.org> पर अपलोड किया जाएगा। दिनांक 24.11.2023 प्रीबिड मीटिंग के पश्चात् प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्ति को मान्य नहीं किया जाएगा तथा यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आफर की समस्त नियमों एवं शर्तों तथा अपलोड किए गए समिति के निर्णय से सहमत होकर आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्य के अवसर

यह निगम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आदानों का प्रदाय प्रदेश के सभी जिलों में स्थित निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से करता है। विभिन्न योजनाओं में लगने वाली आदान सामग्रियों की दर निर्धारित करने हेतु यह रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किया गया है।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत वांछित सामग्रियों का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नहीं है। ऑफरकर्ताओं को प्रदाय आदेश में वर्णित सामग्रियों का प्रदाय, आदेश में उल्लेखित स्थल तक एवं “निर्धारित समय सीमा” में करना आवश्यक होगा।

3. आफरकर्ता को निर्देश :

रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र www.mptenders.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। आफरकर्ताओं से वांछित है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ एवं इसमें वर्णित शर्तों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में दिये गये निर्देशानुसार ऑफर को वेबसाइट पर अपलोड करें। निगम द्वारा आनलाईन प्राप्त आफर को ही मान्य किया जावेगा। साथ ही आरसीओ के सभी अनिवार्य दस्तावेजों, जो आरसीओ प्रपत्र में कहीं भी उल्लेखित हैं, को अनिवार्य रूप से स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना आवश्यक है।

3.1 रेट कान्ट्रेट ऑफर में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी.पी.आई के रिजोल्यूशन में जे.पी.जी अथवा पी.डी.एफ फॉर्मेट में अपलोड करें। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो ऐसे ऑफरकर्ता के प्रस्ताव को मान्य नहीं किया जाएगा।



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

3.2 वेबसाइट से अपलोड किये गये आर.सी.ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अपलोड किये गये प्रपत्रों की स्कैन कापी को निर्देशानुसार आवेदक को अनुबंध के समय हार्ड कापी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3.3 सभी ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ पूर्ण कर लें जिससे अंतिम तिथि के दिन सर्वर, नेटवर्क आदि की समस्याओं के कारण आर.सी.ओ प्रस्तुत करने से वंचित न हों। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

3.4 आरसीओ द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रपत्र शुल्क एवं संकल्प धनराशि ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3.5 आरसीओ के वित्तीय प्रपत्र के अनुसार ऑनलाइन दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक एवं समय तक रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।

3.6 सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएंगे।

3.7 वेण्डर द्वारा एम.पी.एग्रो में पंजीकृत होने के उपरांत विभाग के एम.पी.एफ.एस.टी.एस. पोर्टल पर क्रय आदेश प्राप्ति दिनांक, सामग्री प्रदायगी की दिनांक, देयक प्रस्तुति दिनांक, भुगतान प्राप्ति की दिनांक आदि जानकारी अपलोड की जावेगी।

नोट:- ऐसे ऑफरकर्ताओं के ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिनके साथ निगम का कोई विवाद, वाद न्यायालयीन प्रकरण या अपराधिक प्रकरण लंबित/प्रचलित है एवं ऑफरकर्ता फर्म ब्लैक लिस्टेड हो।

4. निविदा प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण :

ऑनलाइन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य GST सहित	राशि रु 5,900.00
आनलाईन निविदा पत्र का क्रय की अंतिम तिथि एवं समय-सीमा	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 28.11.2023 (समय अपरान्ह 2.00 बजे) तक
संकल्प धन राशि (EMD)	रु 1,00,000 /- (एक लाख रु मात्र)
ऑनलाइन निविदा वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय सीमा	दिनांक 28.11.2023 को अपरान्ह 4.00 बजे तक
प्री-बिड मीटिंग	दिनांक 24.11.2023 अपरान्ह 12.00 बजे एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लि. पंचानन भवन तृतीय तल मालवीय नगर भोपाल में मेजेनाइन फ्लोर सभाकक्ष में होगी।
प्री-बिड मीटिंग में प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति के निर्णय की जानकारी अपलोड किये जाने की तिथि	दिनांक 25.11.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे तक



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

ऑनलाइन तकनीकी निविदा के खोले जाने की निर्धारित तिथि एवं समय (ऑनलाइन अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की स्थिति में ऑफर को मान्य नहीं किया जाएगा)	दिनांक 28.11.2023. अपरान्ह 5.00 बजे
उपयुक्त पाये गये आफर के वित्तीय प्रस्ताव को खोले जाने की सूचना	सूचना निगम की वेबसाईट www.mpagro.org एवं www.mptenders.gov.in पर दी जाएगी।

नोट- उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की website www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। ऑफरकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त आर.सी.ओ. के संदर्भ में वेबसाईट पर समय-समय पर देखकर प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचनाओं के प्रति से अवगत हों।

प्रबंधक (उद्यान)



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

5. ऑफर से संबंधित सामान्य शर्तें

वर्ष 2023-24 एवं आगे की अवधि में आरसीओ के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले सामग्रियों के प्रदाय हेतु निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले ऑफरकर्ताओं से रेट कान्ट्रेक्ट किये जाने हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं। दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाकर लागू रहेंगी।

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर से संबंधित सामान्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-

5.1 ऑफर प्रस्तुत करने की अर्हता

प्रदाय के लिये ऑफरकर्ता की अर्हताएं परिशिष्ट क्रमांक 1, 2 एवं 3 अनुसार रहेंगी।

5.2 आर.सी.ओ प्रपत्र का कय

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य (वापसी योग्य नहीं) है तथा निर्धारित राशि का आनलाईन भुगतान कर ऑफरकर्ता इस प्रपत्र को वेबसाइट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे

5.3 प्री-बिड मीटिंग-

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अनुसार उल्लेखित तिथि में निगम मुख्यालय में प्रबंधक (उद्यान) के कक्ष में आयोजित होगी। संभावित निविदाकार रेट कान्ट्रेक्ट के संबंध में अपनी आपत्तियाँ/सुझाव दिनांक नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदनुसार आवश्यकता अनुसार संशोधन प्रपत्र में किये जा सकेंगे, जो रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र का हिस्सा कहलाएंगे। प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री-बिड मीटिंग के उपरांत रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगीं, अतः यह आवश्यक है कि संभावित ऑफरकर्ता आर.सी.ओ. प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली-भांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिति न रहे।

5.4 ऑफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- वेबसाइट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करते हुए ऑफर के साथ अपलोड करते हुए निर्धारित समय एवं तिथि तक ऑनलाईन प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी।
- एक ऑफरकर्ता से एक ही ऑफर स्वीकार किया जाएगा।
- वित्तीय आफर निर्धारित प्रारूप में केवल वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।
- सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट- निगम द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं की जावेगी। सशर्त ऑफर को अमान्य किया जावेगा।
- स्टार्टअप के लिए प्रावधान-



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 22 के अनुसार मध्यप्रदेश के स्टार्टअप को अनुभव टर्नओवर जैसी समस्त संबंधित योग्यताओं में छूट दी जायेगी। छूट की पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

vi **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अद्यमियों के लिए प्रावधान—**
भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 23.1 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला स्वमित्व वाले अद्यमियां को पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

vii **सूक्ष्म और लघु उद्यमों स्टार्टअप के लिए प्रावधान—**
मध्यप्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों एवं स्टार्टअप के लिए भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) की कंडिका क्रमांक 14.1 के अनुसार ईएमडी में छूट दी जायेगी। भण्डार क्रय नियम 2015 की कंडिका क्रमांक 25.3 के अनुसार आरसीओ की फर्म की फीस में छूट दी जायेगी। पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6 **दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त एवं दरों की वैधता**

- 6.1 ऑफरकर्ता द्वारा प्रदाय हेतु दर परिशिष्ट क्रमांक 8 अनुसार दी जाना आवश्यक है।
- 6.2 ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी, वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी।
- 6.3 ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की शर्तों के अनुसार न्यूनतम होना आवश्यक है।
- 6.4 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से तीन माह तक लागू रहेंगी। दरों की वैधता को निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, बढ़ाया जा सकता है।
- 6.5 ऑफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। अंकों एवं शब्दों में अंतर की दशा में दोनों में से न्यूनतम दर को मान्य किया जावेगा।

7. **सैंपल प्रस्तुत किये जाना :**

आफरकर्ता द्वारा अनुबंध करते समय सेम्पल प्रस्तुत किए जाना अनिवार्य है।

8. **संकल्प धन राशि :**

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धन राशि 1,00,000/- ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक है। संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर को अमान्य किया जायेगा। पूर्व में निगम में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नहीं किया जाएगा।



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

9. संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-

- 9.1 निगम द्वारा आफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
- 9.2 ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
- 9.3 आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
- 9.4 निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

10. धरोहर राशि :

- 10.1 आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी।
- 10.2 अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि समाप्त होने के बाद कोई विवाद न होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।
- 10.3 धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-
 - 10.3.1 निगम आदेश के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर।
 - 10.3.2 प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने की दशा में
 - 10.3.3 आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो।
 - 10.3.4 निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

11. ऑफर की वैधता :

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 90 दिवस तक वैध रहेंगे। अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो।

12. रेट कान्ट्रेक्ट आफर का खोला जाना

- 12.1 नियत तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन ऑफर के तकनीकी प्रस्ताव आरसीओ प्रपत्र के बिन्दु क्र. 4 के अनुसार नियत तिथि एवं समय पर खोले जावेंगे।



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

- 12.2 आफर के खोले जाने की तिथि में परिवर्तन होने की दशा में निगम द्वारा इसकी सूचना का प्रकाशन निगम की वेबसाइट पर किया जावेगा।
- 12.3 परीक्षणोपरांत योग्य पाये गये आफर्स के वित्तीय प्रस्तावों को खोलने की दिनांक निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
- 12.4 आफरकर्ताओं के अथवा उनके प्रतिनिधि की आफर खोले जाते समय नियत स्थान पर उपस्थिति हो सकते हैं।
- 12.5 रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाइट पर दी जाएगी।

13. अनुबंध का निष्पादन-

- 13.1 जिन आफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है अथवा जिन आफरकर्ताओं द्वारा प्रतिप्रस्तावित दर को मान्य किया गया है, को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 4 एवं 4 (अ) के अनुसार राशि रुपये 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित एवं नोटराइज कर कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है।
- 13.2 आफरकर्ता(ओं) जिनके द्वारा प्रस्तुत दरों को निगम द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसे ऑफरकर्ताओं द्वारा अधिकतम 07 दिवस में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित कर कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा ऐसे ऑफरकर्ताओं की जमा संकल्प धनराशि को निगम जप्त कर सकेगा।
- 13.3 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से तीन माह तक लागू रहेंगी। दरों की वैधता को निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, बढ़ाया जा सकता है।
- 13.4 निगम से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात आफरकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा।
- 13.5 अनुबंध के समय समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ ऑफरकर्ता उपस्थित होंगे।

14. दरें स्वीकार की जाना :

- 14.1 रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उन्हीं ऑफरकर्ताओं के ऑफर स्वीकार योग्य होंगे, जिनके द्वारा एल 1 + 15 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत दरें प्रस्तुत की गई होंगी।
- 14.2 प्राप्त दरों पर साधारणतः किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी। अतः ऑफरकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे निगम स्तर पर निर्धारित दर का प्रति प्रस्ताव ऑफरकर्ता को दें। ऐसे आफरकर्ता जिन्हे प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नहीं है, को प्रतिप्रस्तावित दरों के बाबत सूचना निगम को हार्ड कापी के द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रेषित करना आवश्यक होगा।



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

प्रतिप्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा।

- 14.3 बिना आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय मान्य नहीं किया जाएगा तथा प्रदायक यदि ऐसा करता है तो ऐसे प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी तथा ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
- 15 प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री का परीक्षण शासकीय अथवा शासकीय मान्यता प्राप्त लेब से कराया जाना आवश्यक होगा तथा लेब द्वारा जारी टेस्ट रिपोर्ट प्रदाय सामग्री के देयक/चालान के साथ संलग्न की जाना आवश्यक होगी। यदि प्रदायक द्वारा देयक/चालान के साथ टेस्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं की जाती है तो प्रदायगी मान्य नहीं होगी।
16. सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया, समय सीमा एवं शास्ति (पेनाल्टी)
- 16.1 प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण यह समय-सीमा घटाई भी जा सकती है।
- 16.2 आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी।
- 16.3 प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी।

क	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	पांचवे से छठवे सप्ताह तक	0.75% प्रति सप्ताह
4	सातवे से आठवे सप्ताह तक	1.00 % प्रति सप्ताह
5	नवें से दसवें सप्ताह तक	1.25 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है।
6	ग्यारवें से बारहवें सप्ताह तक	1.50 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है।
7	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए। 21% शास्ति (पेनाल्टी) जो की प्रदायक की धरोहर राशि अथवा निगम के अन्य जिलों से किये जाने वाले भुगतान की राशि से वसूली की जावेगी।



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

17. आदेश की प्रक्रिया :

- 17.1 विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश आरसीओ की शर्तों एवं मापदण्डों के अनुसार क्षेत्रीय प्रबंधक अथवा मुख्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।
- 17.2 सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाना आवश्यक होगी। सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा सीधे विभाग को नहीं किया जाएगा।
- 17.3 निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी तथा प्रदायक द्वारा परिवर्तित आदेश/सूचना के अनुसार आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा।
- 17.4 परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी।

18. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/पैकिंग/समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :-

- 18.1 उचित/निर्धारित पैकिंग न होने की दशा में।
- 18.2 निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में।
यदि उक्त कारणों के आधार पर कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।

19. भुगतान :

निगम द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार निगम मुख्यालय द्वारा आदेश जारी करने की दशा में निगम मुख्यालय द्वारा एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

आदेश जारी करने की दशा में संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :-

- (अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग की पावती एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात 7 दिवस के मध्य किया जावेगा ।
- (ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर 7 दिवस के मध्य किया जावेगा ।
- (स) यदि संबंधित विभाग द्वारा 180 दिवस की समय सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है व प्रदायित सामग्री के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है व निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा ।

20. क्रय प्राथमिकता

नियम 31 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा जिन सामग्री या उत्पादों की सूची प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से क्रय हेतु अनुमोदित की जाएगी, उस सामग्री के क्रय पर यह प्रावधान लागू होंगे :-

- 20.1 यदि एल-1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं का नहीं है, तो प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनके द्वारा निविदा में एल-1+15 प्रतिशत की सीमा में दर प्रस्तुत की गई है, को एल-1 दर पर उनकी क्षमता के दृष्टिगत अधिकतम 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत मात्रा तक की सामग्री क्रय की जाएगी ।
- 20.2 यदि प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं की स्थापित क्षमता आदेशित सामग्री के निर्धारित समयावधि में प्रदाय हेतु पर्याप्त नहीं है तो उक्त स्थिति में शेष मात्रा के एल-1 दर पर प्रदाय हेतु निविदा में सहभागी प्रदेश के अन्य दो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपनों को उनके द्वारा प्रस्तुत दरों के घटते हुए क्रम में आवंटित की जायेगी ।
- 20.3 प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ता द्वारा एल-1, दर पर सामग्री के प्रदाय हेतु असहमति व्यक्त करने की दशा में पूर्ण क्रय एल दर प्रस्तुतकर्ता से किया जायेगा ।
- 20.4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से वार्षिक खरीद के 25% में से (25% में से 4%) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वमित्य वाले उद्यमियाँ के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए चिन्हित होंगे, परंतु ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में आग लेने या निविदा टेण्डर की अपेक्षाओं को पूरा करने और एल-1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com

website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

उद्यमियों से खरीद के लिए चिन्हित 4 प्रतिशत का अन्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से पूरा करना होगा।

- 20.5 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से वार्षिक खरीद के 25% में से महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी में खरीद के लिए उपार्जन 25% में से 3%) किया जायेगा। उक्त 03 प्रतिशत में महिलाओं के स्व-सहायता समूह के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को प्राथमिकता दी जायेगी।

21. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे।
22. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली-भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तों पर सहमत है।
23. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में प्रबंध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/ निगम द्वारा स्वीकृत आफर को निरस्त करने एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त करने के अधिकारी होंगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 1 से 3 वर्षों तक के लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
24. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक द्वारा नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना होगी।
25. यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य-दिवस में आफरकर्ता के प्रतिष्ठान/उत्पादन स्थल/गोडाउन का निरीक्षण कर सकेगे।
26. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के महाप्रबंधक (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

27. यदि किसी भी न्यायालय के आदेश से निगम के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त किसी अन्य को आर्बीट्रेटर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे नियुक्त आर्बीट्रेटर की समस्त फीस ऑफरकर्ता/ प्रदायकर्ता द्वारा वहन की जाएगी ।
28. निगम के प्रबंध संचालक रेट कान्ट्रेक्ट आफर की किसी भी शर्त में अनुबंध निष्पादन के पूर्व परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।

प्रबन्धक (उद्यान)



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

परिशिष्ट 1

तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है

क्रमांक	विवरण
1	बीज उत्पादक संस्था का केन्द्र/राज्य शासन के किसी बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन होना अनिवार्य है।
2	बीज उत्पादक संस्था का बीज अधिनियम 1966 की धारा 9 (3 के अंतर्गत) के अंतर्गत केन्द्र/राज्य शासन के किसी बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित बीज का अंतिम बीज प्रमाण पत्र जो कि अद्यतन खरीफ एवं रबी सीजन की बुवाई के वैध हो एवं बीज उत्पादक संस्था का गत दो वर्षों का अंतिम बीज प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। नियमानुसार रिवेलीडेटेड प्रमाणित बीज भी स्वीकार किये जायेंगे। (नोट— वही ऑफरकर्ता रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग ले सकेंगे जिनके द्वारा स्वयं के नाम से प्रमाणित बीजों के उत्पादन का कार्यक्रम लिया गया है तथा बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी अंतिम बीज प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा अंतिम बीज प्रमाण में अंकित मात्रा की सीमा में निगम को बीज प्रदाय करने के लिए सहमत हो)
3	मध्यप्रदेश शासन के संबंधित अधिकृत विभाग द्वारा जारी बीज विक्रय का वैध लायसेंस (बीज अधिनियम 1966/बीज नियम 1968/बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत) जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो।
4	फसलवार, किस्मवार और श्रेणीवार बीज की उपलब्धता की मात्रा (क्विंटल) की जानकारी
5	ऑफरकर्ता फर्म का आयकर नं. PAN होना आवश्यक है।
6	विक्रय कर विभाग द्वारा जारी G.S.T.N. Certificate जमा करना आवश्यक है।
7	आन लाईन राशि जमा करना— परिशिष्ट क्रमांक 5 में उल्लेखानुसार
8	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट 6 के अनुसार राशि रु 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग
9	डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आफरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित आर सी ओ प्रपत्र अपलोड किया जाना है। (पृष्ठ क्रं. 01 से 25 तक)
10	स्टार्टअप, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला स्वमित्व वाले अद्यमियां को पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

वित्तीय आफर

परिशिष्ट क्रमांक 8 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर अलग से वेबसाइट पर ही अपलोड किए जाना है तथा इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की जाना है।



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

परिशिष्ट 2

आफरकर्ताओं के लिये सामान्य निर्देश

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र www.mptenders.gov.in वेबसाईट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाना एवं सील लगायी जाना आवश्यक है। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाने एवं सील नहीं लगाये जाने की दशा में आफर अमान्य किया जाएगा।
2. आरसीओ की शर्तों के अनुसार स्व-प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है।
3. अर्हता संबंधी शर्त तथा कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार वांछित जानकारी प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
4. रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तों के अनुसार के अनुसार संकल्प धनराशि जमा की जाना आवश्यक है।
5. परिशिष्ट 8 में दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
6. निर्धारित समय सीमा में रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।
7. सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएंगे।



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

परिशिष्ट 3

सामग्री के मापदण्ड, आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य, संकल्प धनराशि एवं आदेश जारी करने के लिए अधिकृत की जानकारी

1. यह आर सी ओ हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा, शाहजीरा सौंफ, विलायती सौंफ, अजवाइन, अजमोद, सौंआ (डिल) कलौजी, मिर्च, लहसुन एवं मैथी के प्रमाणित बीजों के प्रमाणित बीजों के प्रदाय हेतु है।
सामग्री के मापदण्ड— आमंत्रित की गई दरें प्रमाणित बीजों से संबंधित हैं, अतः केवल उन्हीं प्रमाणित बीजों की दरें मान्य की जाएंगी जिनके बीज अधिनियम 1966 की धारा 9 (3 के अंतर्गत) के अंतर्गत बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित बीज का अंतिम बीज प्रमाण पत्र जो कि अद्यतन खरीफ एवं रबी सीजन की बुवाई के वैध हो। प्रमाण पत्र में उल्लेखित मात्रा की सीमा तक ही बीज उपलब्ध होने की दशा में आदेश जारी किए जा सकेंगे।
2. आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य राशि रुपये 5,900.00 (रुपए पांच हजार नौ सौ मात्र)
3. संकल्प धन राशि— राशि रुपये 100,000.00 (रुपए एक लाख मात्र)
4. आदेश जारी करने के लिए अधिकृत— निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

परिशिष्ट 4

:: अनुबंध ::

(निगम द्वारा ऑफर मान्य करने की दशा में सूचित किए जाने पर राशि रु. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज करवाकर प्रस्तुत किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स की ओर से श्री जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगी के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रमाणित / सत्यरूप सब्जी बीज प्रदाय हेतु दिनांक को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) क्रय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तों को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट्स अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की जिन प्रमाणित सब्जी बीजों हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट 4 "अ" पर उल्लेखित है की (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तों अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे । शर्तों एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारीयां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम और मान्य रहेगा ।

उक्तानुस

एर विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

हस्ताक्षर प्रदायक	हस्ताक्षर प्रबंधक (उद्यान)
-------------------	----------------------------

गवाह :

- 1.
- 2.



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

परिशिष्ट 5

Authority to submit Tender
(On Producer company's letterhead)

To,

The Managing Director

M.P.State Agro Industries Development Corporation Ltd.

Panchanan Bhawan, 3rd Flore ,

Malviya Nagar,

Bhopal

Sub : Authority to submit Rate Contract Offer

Dear Sir,

I.....Designat
ion hereby authorize Shri
.....Designation
.....to submit Rate Contract Offer M.P. State Agro
Industries Corporation Ltd on behalf of the company due on -----

We hereby undertake that the Company shall abide by all the terms and conditions as mentioned in Tender Document. I further certify that I am authorized to issue this certificate on behalf of the company. If an order is placed with the authorized company as above, the company undertakes to supply the order as per terms and condition of RCO.

(Signature)

Name

Designation

Tel No

Mobile No

E mail



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

परिशिष्ट-6

वर्ष 2023-24 एवं आगे के अवधि के लिये निगम के माध्यम से प्रमाणित बीज के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाबत सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैंमेसर्सकी ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ। मेसर्सद्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लेखित शर्तों के अनुसार के बीजों के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत हैं। हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदनुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे। यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तों का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रुपये/— एवं हमारे बिलों से कर सकता है।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है। इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

संकल्प धन राशि रुपये/— प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में मैं धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदनुसार सभी शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं।

दिनांक :

आफरकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

(रुपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना है)



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

परिशिष्ट 7

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION
LIMITED
PANCHANAN, III FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL

DETAILS OF THE OFFERER

1	Name of Individual Offerer State Private or Public Limited / Co-operative Institution.	----- -----
2	Complete Postal address of the individual Offerer including name of Principal Officer/ Person / Chairman/ Managing Director	-----
	PHONE NO. Fax. No.	Office : Mobile : Fax_____
3	E mail address	
4	Particular of the Registration certificate issued	Registration No. Date_____
5	GST Registration number.	
6	Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum & Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).	
7	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Banker Name of the Branch Tel.No. Bank Account No
8	State whether Producer / Distributor / Dealer.	_____
9	Whether Debarred or penalized by any Central/State govt. organization at any time If the reply is yes, when & why give proper details (use separate sheet, if required).	Yes / No.



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

10	Have you ever supplied any item to this Corporation, If yes, give details of item and year of supply.	-----
11	Do you have any associate company(s)?	-----
12	Do your Directors / Partners have interest in some other Offerer/ Society. If yes, give details.	-----
13	Is any of your relative working or serving in this Corporation in any capacity?	-----
14	Are you having any branch office? If yes, please give details of address, Telephone No. Fax No. etc.	-----
15	Surety Money (S.M.D.) for registration	Amount : DD No. : Date :

Signature of Offerer



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

परिशिष्ट 8

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
वर्ष 2023 -24 एवं आगे के लिये

वित्तीय आफर (FINANCIAL OFFER)

01. NAME OF THE OFFERER

PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)

Sl. No.	Item Description	VERITY	Quantity	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	GST AMOUNT	TOTAL AMOUNT Without Taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	13	15	53	54	55
CERTIFIED VEG AND MASALA SEED									
1.01	Coriander		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

	(Dhania)								Only
1.02	Garlic		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.03	Turmeric		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.04	FENUGREEK (methi)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.05	GINGER		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

1.06	Cumin (Jeera)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.09	Fennel (Souaf)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.07	Celery (Ajwayan)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.08	Kalonji		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.09	Parseley (Ajmodh)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

1.10	Shah Jira		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.11	Bilayti Sonf		1.00	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.12	Chili		1.00	KG			0.00	0.00	INR Zero Only

आवश्यकता होने पर अलग से शीट संलग्न की जा सकती है।

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील